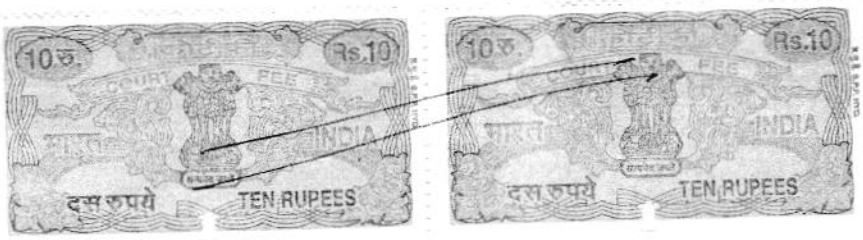

(27)

माननीय न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक – ~~2018~~ निगरानी– 5057/2018/मंदसौर/भू.रा.

1. श्रीमती वहीदन बेवा अली मोहम्मद
2. अमीन पिता अली मोहम्मद मुसलमान

निवासीगण ग्राम सिहोर तहसील एवं जिला मंदसौर म.प्र. –– **आवेदकगण**

विरूद्ध

गोपालसिंह पिता किशोरसिंह राजपूत, निवासी ग्राम सिहोर तहसील एवं जिला मंदसौर म.प्र.

–– **अनावेदक**

पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं

माननीय महोदय,

आवेदक अधीनस्थ योग्य न्यायालय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 23/अपील/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 24–03–2018 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर निम्न कारणों के आधार पर पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है।

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बिना किसी उचित एवं वैध आधार के होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदक ने अपनी बहस में जो मुददे उठाये उन पर विचार किए बगैर आदेश पारित करने में त्रुटि की है।

3. यह कि आवेदकगण विवादित भूमि के आधिपत्यधारी हो चुके हैं उन्हें उक्त भूमि हर प्रकार से अन्तरण, विक्रय आदि करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है परन्तु इस बिन्दु पर विचार किये बगैर आदेश पारित करने में त्रुटि की है।

4. यह कि,अपीलार्थीगण के नाम से ग्राम सिहोर टप्प धुधडका में एक अन्य कृषि खाता सर्वे नंबर 463 रकबा 1.00 हे. का भी स्थित है।

5. यह कि, अपीलार्थीगण नेसर्वे नंबर 375 रकबा 1.00 हे. की कृषि भूमि

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निगरानी 5057/2018/मंदसौर/भू0रा0

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03/1/19	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा प्र0क्र0 23/अपील/14-15 में पारित आदेश दिनांक 24-3-18 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक अमीन एवं उसकी मां श्रीमती वहीदन (मृतक) द्वारा कलेक्टर न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया कि ग्राम सिहोर तहसील मंदसौर स्थित कृषि भूमि सर्वे नंबर 375 रकबा 1.00 हैक्टर जो आवेदक के पिता को वर्ष 1976-77 में पट्टे पर प्राप्त हुई थी और उनकी मृत्यु के उपरांत भूमि उनके नाम दर्ज है, को प्रत्यर्थी को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने हेतु आवेदन पेश किया गया । अपर कलेक्टर ने उक्त आवेदन आदेश दिनांक 02-06-14 द्वारा निरस्त किया गया । जिसके विरूद्ध आवेदकगण ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं जिन आधारों पर कलेक्टर ने उनका भूमि विक्रय का आवेदन निरस्त किया है, वह सही नहीं है क्योंकि आवेदक ने अपने कथन से प्रमाणित किया है कि ग्राम सिहोर में ही उनके नाम अन्य भूमियां हैं, उस पर कुंआ खुदवायोंगे एवं भूमि को उपजाऊ बनायेंगे । यह भी कहा गया कि कलेक्टर ने तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के जांच प्रतिवेदन को अनदेखा करते हुए आदेश पारित किया है । यह भी कहा गया कि उनके उपर भूमि विक्रय का कोई दबाव नहीं है ना ही आवेदकगण् के साथ कोई छलकपट नहीं हो रहा है ।	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	4/ प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि आवेदक को यदि भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है तो वे वर्तमान गाइड लाइन से भूमि क्रय करने को तैयार हैं । 5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया । यह प्रकरण भूमि विक्रय की अनुमति के संबंध में है । कलेक्टर द्वारा आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन को इस आधार पर निरस्त किया गया है कि उनके कथन एवं नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन में विरोधाभाष है साथ ही आवेदकगण ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है, जिससे यह प्रमाणित हो कि उक्त भूमि के अतिरिक्त उनके स्वामित्व एवं आधिपत्य की अन्य भूमि है । साथ ही अन्य भूमि क्रय करने संबंधी कोई अनुबंध पत्र आदि पेश नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वे उक्त भूमि को विक्रय कर उसी ग्राम के किस व्यक्ति से कौनसी भूमि, कौनसा सर्वे नंबर एवं कितना रकबा क्रय करेगा। इस संबंध में आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष ग्राम सिहोर में आवेदकगण के नाम स्थित अन्य भूमि सर्वे नंबर 463 रकबा 1.00 के संबंध में खसरे की प्रति पेश की है, जिससे स्पष्ट है कि आवेदक के पास ग्राम सिहोर में अन्य भूमि स्थित है । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्कों के दौरान यह भी कहा गया कि वे विक्रय से प्राप्त राशि से अपनी शेष भूमि को उपजाऊ बनाने के उपरांत जो राशि बचेगी उससे अन्य भूमि भी क्रय करेंगे । आवेदक द्वारा भूमि विक्रय के जो कारण बताए गए हैं उन्हें देखते हुए एवं उनके अधिवक्ता द्वारा दिए गए इस तर्क को ध्यान में रखते हुए कि उनके साथ कोई छलकपट नहीं हो रहा है तथा क्रेता द्वारा उसे कलेक्टर गाइड लाइन से मूल्य दिया जा रहा है, आवेदित भूमि को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है । अतः अपर आयुक्त एवं अपर कलेक्टर, नीमच द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाते हैं तथा आवेदक को उनके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम सिहोर तहसील मंदसौर स्थित कृषि भूमि 'सर्वे	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निगरानी 5057/2018/मंदसौर/भू0रा0

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	नंबर 375 रकबा 1.00 हैक्टर को प्रत्यर्थी को विक्रय करने की अनुमति इन शर्तों के साथ प्रदान की जाती है कि प्रस्तावित क्रेता द्वारा विक्रयपत्र के निष्पादन के समय प्रचलित कलेक्टर गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य अपीलार्थीगण को अदा किया जायेगा । उक्त प्रश्नाधीन भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 6 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा । उप पंजीयक को यह निर्देशित किया जाता है कि वे सुनिश्चित करें कि क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) चेक/बैंक ड्राफ्ट/नेट बैंकिंग से अपीलार्थीगण के खाते में जमा की जायेगी । उक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर यह अनुमति स्वत: निष्प्रभावी मानी जावेगी । निगरानी तद्नुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो । **(एम. गोपाल रेड्डी)** **प्रशासकीय सदस्य,** **राजस्व मंडल, म0प्र0, ग्वालियर**	